


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. 15/2019

उनवानी :- हरिचरन व अन्य बनाम मु0 कमलेश व अन्य

दिनांक	फर्द अहकाम
09.04.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। बार - बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी वादीगण एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। इसलिए मुकदमा नं. 15/2019 उनवानी हरिचरन व अन्य बनाम मु0 कमलेश व अन्य दावा बाबत इस्तकरारहक, स्थाई निषेधाज्ञा को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p> (हेमराज गुर्जर) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>